बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

लिपिक भर्ती प्रोजेक्ट 2009

बैंक ऑफ़ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है और जिसका प्रधान कार्यालय, मुंबई में है, लिपिक संवर्ग में 1750 पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

चालान प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त बटन पर क्लिक करें और भुगतान करने के बाद (एससी/एसटी /पीडब्ल्यू एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के अलावा) ऑन लाइन आवेदन के लिए इस विज्ञापन/सूचना को पढ़ें और विज्ञापन/सूचना-के अंत में दिए गये "एप्लाय ऑन लाइन" को क्लिक करें : पृष्ठ 15

चालान उपलब्ध होने की तारीख	01.06.2009
ऑन लाइन प्रस्तुति आरंभ होने की तारीख	01.06.2009
ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख	27.06.2009
लिखित परीक्षा की अंतरिम तारीख	09.08.2009 (रविवार)

1. पद का नाम :

पद	आयु (30.4.2009 को)	परिलब्धियाँ
लिपिक संवर्ग	न्यूनतम आयु : 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु : 28 वर्ष (आवेदनकर्ता की जन्म-तिथि 01.05.1981 से पूर्व एवं 30.04.1991 के बाद की नहीं होनी चाहिए) आयु की छूट के लिए पैरा '4' भी देखें	रु. 4410- रु.13210 के टाइम स्केल में मूल वेतन+ डीए, एचआरए, सीसीए, वाहन भत्ता, ग्रेच्युटी, पेंशन, एलएफसी, चिकित्सा सहायता आदि औद्योगिक स्तर पर समझौते के अनुसार एवं बैंक के नियमों के अनुसार अन्य सुविधाएं।

2. रिक्त पदों की स्थिति :

राज्य कोड	राज्य/संघ शासित राज्य	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य (यू आर)	जिसमें से			
							वीसी	एचआई	ओसी	एक्सएसएम
11	आंध्र प्रदेश	58	12	06	18	22	-	01	01	08
12	बिहार	90	16	03	28	43	01	01	01	13
13	चंडीगढ़ (यू.टी.)	6	01	-	02	03	-	-	-	01
14	छत्तीसगढ	15	02	04	01	08	-	-	-	02
15	दिल्ली	30	04	02	08	16	-	-	01	04
16	गोवा	14	-	02	03	09	-	-	-	02
17	गुजरात	183	13	27	49	94	01	02	02	27
18	हरियाणा	24	04	-	06	14	-	-	01	03
19	हिमाचल प्रदेश	20	06	01	04	09	-	-	01	03
20	झारखंड	112	18	34	18	42	01	01	01	16
21	जम्मू एवं कश्मीर	20	01	04	06	09	-	-	01	03
22	कर्नाटक	43	11	04	13	15	-	01	-	06
23	केरल	22	02	-	06	14	01	-	-	03
24	मध्य प्रदेश	125	22	33	18	52	01	01	02	18
25	महाराष्ट्र	400	41	50	106	203	04	04	04	58
26	उड़ीसा	50	10	13	07	20	-	01	-	07
27	पांडिचेरी (यू.टी.)	2	-	-	01	01	-	-	-	-
28	पंजाब	50	14	-	11	25	01	-	-	07
29	राजस्थान	20	04	04	05	07	-	-	01	03
30	तमिलनाडु	70	13	01	19	37	-	01	-	10
31	प. बंगाल	198	45	12	43	98	02	02	02	29
32	असम	8	01	02	02	03	-	-	-	01
33	त्रिपुरा	3	01	01	-	01	-	-	-	-
34	मेघालय	7	-	03	-	04	-	-	-	01
35	सिक्किम	2	-	-	01	01	-	-	-	-
36	उत्तरप्रदेश	148	32	04	51	61	01	02	01	21
37	उत्तरांचल	30	05	01	05	19	-	-	01	04
	कुल	1750	278	211	431	830	13	17	20	250

* समाहित : एससी-50; एसटी -62; ओबीसी-63 बैकलॉग रिक्तियाँ

आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी जैसे विकलांग व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक जिनके लिए कोई आरक्षण घोषित नहीं किया गया है वे अनारक्षित प्रवर्ग के लिए घोषित रिक्तियों हेतु आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है, तथापि उन्हें अनारक्षित प्रवर्ग हेतु नियत सभी पात्रता शर्तों को अनिवार्यत: पूरा करना चाहिए।

ऊपर सूचित किए अनुसार भर्ती राज्यवार/संघशासित राज्यवार की जाएगी। अभ्यर्थी केवल एक राज्य/संघशासित राज्य में रिक्त पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्रारंभ में उस राज्य/संघशासित राज्य में किसी भी स्थान पर तैनात किए जाने के लिए उन्हें इच्छुक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें नीचे पैरा सं. 9 में सूचित किए अनुसार केवल उस विशेष राज्य/संघ शासित राज्य के लिए विनिर्दिष्ट परीक्षा केन्द्र से लिखित परीक्षा में बैठना होगा और तद्नुसार उन्हें परीक्षा के बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद जिस राज्य/संघ शासित राज्य एवं/या परीक्षा केन्द्र के लिए आवेदन किया गया है, उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणियाँ : संक्षिप्त रूप एवं परिभाषाएं

i) व्यक्तियों का संवर्ग:
जीईएन (यूआर) - सामान्य (अनारक्षित)
एससी- अनुसूचित जाति
एसटी - अनुसूचित जनजाति
ओबीसी- अन्य पिछड़ा वर्ग
एक्सएसएम - भूतपूर्व सैनिक
पीडब्ल्यूडी - अशक्तता वाले व्यक्ति (शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति) हैं :
ओसी - शारीरिक विकलांगता
एचआई - क्षीण श्रवणशक्ति।
वीसी - दृष्टि की असमर्थता (नेत्रहीन/आंशिक रूप से नेत्रहीन/कम दृष्टि)

ii) विकलांगता (ओसी) :
विकलांग (ओसी) से तात्पर्य वह व्यक्ति है, जिसमें 40% शारीरिक दोष या विकृति है, जिसके कारण हड्डियों, मांस पेशियों तथा जोड़ों के सामान्य कार्यों में बाधा आती है और ऐसा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गये मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है।

iii) दृष्टि की असमर्थता (वीसी)

(क) दृष्टिहीनता का संबंध उस व्यक्ति से है,जो निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक से पीड़ित होते है :
(अ) पूर्ण रूप से दृष्टिहीनता,
(आ) सुधारात्मक लेंस के साथ बेहतर नेत्रों में दृष्टि की स्पष्टता 6/60 या 20/200 (स्नेलेन) से ज्यादा न हो। दृष्टि की क्षेत्र सीमा 20 अंश का कोण बनाती हुई या इससे खराब हो और ऐसा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड से प्रमाणित किया गया हो।

(ख) कम दृष्टि वाले व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके मानक अपवर्तक सुधार के इलाज के बाद भी दृष्टि कार्य में कमी बनी रहती है, किन्तु जो उसका उपयोग करता है या उचित सहायक साधन से कार्य की योजना या निष्पादन के लिए संभावित रूप से दृष्टि का उपयोग करने के योग्य है।

iv) <u>बहरापन एवं श्रवण शक्ति की असमर्थता (एचआई) :</u>

(क) बहरे व्यक्ति वे हैं, जिनमें जीवन के सामान्य प्रयोजनों के लिए सुनने की अनुभूति अकार्यक्षम है, अर्थात् दोनों कानों से सुनना पूरी तरह खो देना। वे पूरी तरह से प्रवर्धित वाणी को सुनने और समझ ाने में असमर्थ है।

(ख) श्रवण शक्ति की असमर्थता का अर्थ है, बेहतर कान आवृत्ति की संवादात्मक रेंज में 60 डेसीबल से अधिक की हानि।

3. <u>पदों का आरक्षण</u> :

(क) विभिन्न संवर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की सूचना उपर्युक्त पैरा 2 में सूचित की गई है।

(ख) रिक्त पदों की संख्या और साथ ही आरक्षित रिक्तियों की संख्या अनन्तिम हैं और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित की जा सकती हैं।

(ग) आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार इन संवर्गों को परस्पर परिवर्तित करने का बैंक का अधिकार सुरक्षित है।

(घ) यह स्पष्ट किया जाता कि पीडब्ल्यूडी संवर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को बैंक के सभी कार्यालयों/शाखाओं में नियोजित करना संभव नहीं है और बैंक द्वारा उनके लिए निर्धारित किए गये उपयुक्त पद पर उन्हें काम करना होगा।

(ङ) चयनित अभ्यर्थी को बैंक के पूर्ण विवेक पर और जिस राज्य के लिए उसने आवेदन किया है, उसमें कहीं भी अत्यावश्यकता के अनुसार बैंक की किसी भी शाखा/कार्यालय में तैनात किया जा सकता है।

4. <u>उच्च आयु सीमा में रियायत</u> :

यथा दिनांक 30.04.2009 को अभ्यर्थी की 18 वर्ष की न्यूनतम आयु पूर्ण होनी चाहिए और 28 वर्ष की अधिकतम आयु पूर्ण नहीं की गई होनी चाहिए।

आरक्षित पदों के लिए उच्च आयु सीमा में निम्नानुसार रियायत उपलब्ध है :

i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष
ii) अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष
iii) अशक्तता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए संचयी आधार पर 10 वर्ष तक। पीडब्ल्यूडी संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संचयी आयु रियायत इस प्रकार होगी,(अ) एससी/एसटी हेतु 15 वर्ष (10+5)(ब) ओबीसी हेतु 13 वर्ष (10+3) और (स) सामान्य अभ्यार्थियों हेतु 10 वर्ष (0+10) बशर्ते कि 30.04.2009 को इस प्रकार की संचयी रियायत अभ्यर्थी की आयु 50 वर्षों से परे न पहुंचती हो।

iv) सभी व्यक्ति जो सामान्यतया दिनांक 1/01/1980 से 31/12/1989 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर प्रखण्ड में अधिवासित हैं, 5 वर्ष तक, इस मानदण्ड के अंतर्गत आयु रियायत के पात्र व्यक्ति, यदि साक्षात्कार के लिए चुने जाते हैं, उन्हें कश्मीर प्रखण्ड के जिला मजिस्ट्रेट, जिनके अधिकार क्षेत्र में सामान्यता वे निवास करते हैं या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में पदनामित किसी अन्य प्राधिकारी से इस प्रभाव का अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि अभ्यर्थी दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर प्रखण्ड में सामान्यतया अधिवासी रहे थे।

v) विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएँ एवं न्यायिक रूप से अपने पतियों से अलग हुई महिलाएँ, जिन्होंने पुन: विवाह नहीं किया है -9 वर्ष अर्थात् 37 वर्ष की अधिकतम आयु (संचयी आधार पर)।

vi) भूतपूर्व सैनिक जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार अधिसूचना सं.36034/5/85/ईएसटीटी (एससीटी) दिनांकित 27.10.1986, में दी गई संशोधित परिभाषा, समय-समय पर यथा संशोधित को पूरा करते हों, जिन्होंने सशस्त्र सेना में लगातार कम से कम 6 महीनों की सेवा पूरी की हो, उनकी वास्तविक आयु से ऐसी सेवा की मात्रा कम करके, आयु रियायत लाभ की अनुमति होगी और परिणामस्वरूप अनुमानिक आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होती, बशर्ते कि वह उनकी 50 वर्ष की अधिकतम आयु से अधिक न होती हो। सरकार में "भूतपूर्व सैनिक" के रूप में पुन: नियोजित होने के उद्देश्य से सिविल साइड में एक बार नियोजित होकर सरकारी नौकरी ग्रहण करने पर, भूतपूर्व सैनिक के रूप में दिया गया लाभ प्राप्त करने के बाद, भूतपूर्व सैनिक की हैसियत समाप्त हो जाएगी।

5. <u>पात्रता मानदंड</u> :

(i) <u>राष्ट्रीयता/नागरिकता</u> :

अभ्यर्थी (i) भारत का नागरिक हो या (ii) नेपाल की प्रजा हो या (iii) भूटान की प्रजा हो या (iv) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थाई रूप से बसने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 1962 से पहले आया हो या (v) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थाई रूप से बसने के लिए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों यथा केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पहले का तंगानियका और जंजीबार) जाम्बिया, मालावी, जैरे, इथोपिया एवं वियतनाम से आया हो, बशर्ते कि उपर्युक्त (ii), (iii), (iv) एवं (v) प्रवर्गों का अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में पात्रता का प्रमाणपत्र भारत सरकार द्वारा जारी किया गया हो। कोई अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, को परीक्षा और/या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है परन्तु अंतिम चयन के समय नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(ii) <u>सेवारत कर्मचारियों से आवेदनपत्र</u>

पात्रता मानदंड पूरा करने के अध्यधीन बैंक ऑफ़ इंडिया के अधीनस्थ संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी भी उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का यदि चयन हो जाता है तो वे बैंक में अपने वर्तमान पद से त्यागपत्र देंगे और बैंक की सेवा में नए सिरे से पुन: कार्य ग्रहण करेंगे।

(iii) शैक्षणिक अर्हताएँ :

अभ्यर्थी के पास दिनांक 30.04.2009 को निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए :

(1) कोई भी परीक्षा 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण की हो - उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (एचएससी) या 10+2+3 पैटर्न के अन्तर्गत XII कक्षा अथवा 11+4 पैटर्न के अन्तर्गत 11 कक्षा या इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा.

भूतपूर्व सैनिक जिनके पास उपर्युक्त सिविल परीक्षा अर्हताएँ नहीं हैं उन्हें सशस्त्र बल की सेवा में रहते हुए सिविल परीक्षा एचएससी/प्री-यूनीवर्सिटी के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित में से कोई परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। उदा.(i) कार्पोरल इंडियन यूनीवर्सिटी की श्रेणी में पदोन्नति के लिए आईएएफ शैक्षणिक परीक्षा (ii) बॉयज़ ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट, विशाखापटनम द्वारा आयोजित (इंडियन नेवी) परीक्षा।

(2) किसी कम्प्यूटर इन्स्टीट्यूट से कम्प्यूटर ज्ञान एवं ऑफिस ऑटोमेशन संबंधी न्यूनतम 3 माह का फाउंडेशन कोर्स पूरा किया होना अपेक्षित है। जिन अभ्यर्थियों ने प्री-डिग्री लेवल पर कम्प्यूटर को एक विषय के रूप मे रखा हो ऐसी स्थिति में उपर्युक्त आवश्यक पाठ्यक्रम के पूर्ण करने में छूट दी जाएगी।

(3) जिस राज्य/संघ शासित राज्य के लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया है उसकी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान वांछनीय है।

(4) उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ पद के लिए न्यूनतम हैं। अभ्यर्थियों के पास उक्त अर्हताएँ यथा दिनांक 30.04.2009 को होनी चाहिए। यदि वे साक्षात्कार के लिए चयनित किए जाते हैं तो उन्हें (1) (क) एचएससी उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र और (ख) विश्वविद्यालय की फाइनल डिग्री उत्तीर्ण (उपाधि) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए*। (डिग्री उत्तीर्ण करने का अनंतिम प्रमाण केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के मामले में स्वीकार किया जाएगा जिन्होंने पिछले एक वर्ष अर्थात 01.05.2008 से 30.04.2009 के मध्य डिग्री की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की* है- अतिरिक्त वेतन वृद्धि/निर्धारण हेतु डिग्री सर्टिफिकेट आवश्यक है, यदि पात्रता हो तो) और (2) जिन शैक्षणिक संस्थानों में उन्होंने अध्ययन किया है वहाँ से डिग्री परीक्षा के संबंध में प्रत्येक वर्ष/सेमिस्टर की वर्षवार/सेमिस्टरवार अंकतालिका और (3) कम्प्यूटर पाठ्यक्रम पूरा करने के समर्थन में कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र।

(5) सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक योग्यता के लिए अंकों का प्रतिशत निर्धारित अभ्यर्थियों के आरक्षित (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी) के संबंध में, संबंधी श्रेणी हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने में सामान्य अभ्यर्थियों हेतु 5% अंकों की रियायत के पात्र होंगे एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों के भरने हेतु, उपर्युक्त रियायत के लिए पात्र नहीं होंगे।

6. चयन विधि :

अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन 300 अंकों की लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा एवं 100 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार में कार्यनिष्पादन के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु योग्यता के लिए अभ्यर्थी को प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एससी/एसटी श्रेणी हेतु 35% अंक) तथापि अभ्यर्थी को सामूहिक रूप से सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में औसतन 50% अंक अर्जित करने होंगे। (एससी/एसटी श्रेणी हेतु 45% अंक)

प्रत्येक राज्य में रिक्तियों की संख्या के आधार पर, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को 1:3 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताकारी अंक प्राप्त किए हों और लिखित परीक्षा में मेरिट क्रम में पर्याप्त रूप से उच्च श्रेणी में हों। लिखित परीक्षा में केवल उत्तीर्ण हो जाने से अभ्यर्थी को व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु बुलावा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य श्रेणी के अंतर्गत क्रमश: लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की राज्यवार मेरिट सूचियाँ लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के घटते क्रम के आधार पर तैयार की जाएंगी।

चुने गए/चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति बैंक की अपेक्षा के अनुसार उनके चिकित्सीय रूप से स्वस्थ पाए जाने के अध्यधीन है। ऐसी नियुक्ति एवं बैंक सेवा में स्थायीकरण भी संबंधित संदर्भितियों, पूर्व इतिहास का पुलिस सत्यापन, जाति/वर्ग सत्यापन के संतोषप्रद होने एवं अन्य अनुपालनों के पूर्ण होने के अध्यधीन है।

7. परीवीक्षा :

चुने गए अभ्यर्थी बैंक में अपने कार्यग्रहण की तारीख से सक्रिय सेवा की 6 माह की अवधि हेतु परीवीक्षाधीन रहेंगे।

8. लिखित परीक्षा/व्यक्तिगत साक्षात्कार :

(क) लिखित परीक्षा : (वस्तुनिष्ठ) लिखित परीक्षा:

क्र. सं.	प्रश्नपत्र का नाम	प्रश्नों की संख्या एवं अंक	
1.	तर्कशक्ति परीक्षा एवं संख्यात्मक क्षमता	100 प्रश्न	200 अंक
2.	लिपिकीय क्षमता	50 प्रश्न	50 अंक
3.	अंग्रेजी भाषा संबंधी परीक्षा	50 प्रश्न	50 अंक
संयुक्त रूप से 90 मिनट की अवधि		200 प्रश्न	300 अंक

(ख) लिखित परीक्षा (वर्णनात्मक)

विषय वस्तु	अवधि	अंक
समसामयिक घटनाएं एवं सम्प्रेषण कौशल संबंधी ज्ञान के आकलन हेतु उच्चस्तरीय संज्ञानात्मक क्षमताएं	60 मिनट	100 अंकों हेतु आंतरिक ऑप्शन सहित अनिवार्य 5 प्रश्न न्यूनतम उत्तीर्ण अंक -50% एवं एससी/एसटी/ओबीसी हेतु 35%

नोट : उपर्युक्त वर्णात्मक परीक्षा केवल उत्तीर्ण करनी है जिसे मेरिट रेंकिंग के लिए शामिल नहीं किया जाएगा अर्थात समान्य अभ्यर्थी हेतु 50% अंक एवं एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी हेतु 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है परन्तु मेरिट सूची बनाने के लिए समग्र अंकों में उक्त प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जायेगा।

(ग) लेखक का उपयोग :

दृष्टिहीन (वीसी) अभ्यर्थी एवं विकलांग (ओसी) अभ्यर्थी (जिनके लिखने की गति सेरेब्रल पल्सी के कारण प्रभावित है) की ओर से लिखित परीक्षा में लेखन कार्य हेतु लेखक (स्क्राइब) का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में जहाँ लेखक का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

अभ्यर्थी स्वयं अपने खर्च पर लेखक की व्यवस्था करेगा।
लेखक किसी भी *शैक्षणिक विषय का हो सकता है।*
लेखक की शैक्षणिक योग्यता *शिक्षा पद्धति 10+2 के अन्तर्गत XI कक्षा से अधिक नहीं होनी चाहिए और अभ्यर्थी की तुलना में उसके अंक कम होने चाहिए एवं किसी भी स्थिति में उसके 60% अंक नहीं होने चाहिए।*

लेखक एवं अभ्यर्थी दोनों को यह पुष्टि करते हुए कि लेखक उपरिवर्णित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, एक उपयुक्त वचनपत्र देना होगा। यदि बाद में यह ज्ञात होता है कि लेखक किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता था या उसने महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया था तो आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी, भले ही लिखित परीक्षा का परिणाम कुछ भी रहा हो।

जो अभ्यर्थी लेखक का उपयोग करते हैं उन्हें परीक्षा के प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पैरा 9 में बताए अनुसार हमारे आंचलिक/सम्पर्क कार्यालय में आना चाहिए और परीक्षा से एक सप्ताह पहले लेखक का नाम अधिकृत कराना चाहिए।

(घ) व्यक्तिगत साक्षात्कार

अभ्यर्थी के शैक्षणिक रिकार्ड, अभिव्यक्ति सामर्थ्य, विचारों की स्पष्टता, नेतृत्व की विशेषताएँ अतिरिक्त पाठ्येत्तर कार्यकलापों शौक, सामान्य व्यवहार संप्रेषण कौशल आदि के मूल्यांकन के लिए 100 अंकों का व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार की पात्रता के लिए न्यूनतम अंक 50%(आरक्षित क्षेणी के लिए 45% है।

(9) लिखित परीक्षा केन्द्र एवं लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र जारी करना :

लिखित परीक्षा अंतरिम रूप से 09.08.2009 रविवार को नीचे बताए गए परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा केन्द्र स्थल का पूरा पता बुलावा पत्र में सूचित किया जाएगा। पात्र अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में दिए गए पत्राचार के पते पर लिखित परीक्षा की तारीख से पर्याप्त समय पहले डाक (यूसीपी) द्वारा भेजे जाएंगे।

किसी अभ्यर्थी को यदि दिनांक 02.08.2009 तक परीक्षा का बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उससे जिस संबंधित राज्य व परीक्षा केंद्र का विकल्प दिया है, में स्थित बैंक ऑफ़ इंडिया के संबंधित आंचलिक कार्यालय में निम्नलिखित पते पर अपना नाम, पता, और परीक्षा बुलावा पत्र की दूसरी प्रति जारी करने हेतु किए गए भुगतान के ब्योरे देते हुए लिखित आवेदन के साथ संपर्क करना चाहिए।

राज्य कोड	राज्य/संघ शासित प्रदेश	परीक्षा केंद्र/केंद्र कोड	आंचलिक कार्यालय का संपर्क पता	संपर्क किया जाने वाला व्यक्ति
11	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद 1101	बैंक ऑफ़ इंडिया, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय, 10-1-1199/2, पी.टी.आई बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500 004	श्री विक्रम सिन्हा वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) का. 040-23317302 मो. 9441743305
		विशाखापट्टनम 1102	बैंक ऑफ़ इंडिया, विशाखापट्टनम आंचलिक कार्यालय, किशन भवन, 10-50-51, पहली मंजिल, रामनगर, वॉल्टेयर मेन रोड, विशाखापट्टनम-2	श्री के.वी.नरसिम्हा राव वरिष्ठ प्रबंधक एचआर, फो. 0891-2702072 मो. 9949093634
12	बिहार	पटना 1201	बैंक ऑफ़ इंडिया, पटना आंचलिक कार्यालय चाणक्य टावर, पहली मंजिल, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना -800 001	श्री बद्री प्रसाद वरिष्ठ प्रबंधक एचआर, फो. 0612-2234510 मो. 9431829251
		भागलपुर 1202	बैंक ऑफ़ इंडिया, भागलपुर आंचलिक कार्यालय, आदमपुर चौक, भागलपुर, बिहार-812001	श्री एस.के.सदाभारतीय फो. नं. 0641-2406365 मो. 9431090265
13	चंडीगढ़ (यू.टी)	चंडीगढ़ 1301	बैंक ऑफ़ इंडिया, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय, एससीओ नं. 181-182, सेक्टर -17 सी चंड़ीगढ़160017	श्री डी.सोनी वरिष्ठ प्रबंधक. 0172-2726188 मो : 09815175511
14	छत्तीसगढ़	रायपुर 1401	बैंक ऑफ़ इंडिया, रायपुर आंचलिक कार्यालय, जी.डी.शीश बिल्डिंग, तात्यापारा रायपुर, छत्तीसगढ़-492 001	श्री एस.एम.त्रिवेदी, वरिष्ठ प्रबंधक. 0771-4212423 मो. 9977380971
15	दिल्ली	न्यू दिल्ली 1501	बैंक ऑफ़ इंडिया, न्यू दिल्ली आंचलिक कार्यालय, 124,जीवन भारती, कॅनाट सर्कस,न्यू दिल्ली	श्री अरविंद कुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) टेलि. 28844093 मो 9911305507
16	गोवा	पणजी 1601	बैंक ऑफ़ इंडिया, गोवा आंचलिक कार्यालय, डेम्पो हाउस, पोस्ट बॉक्स नं. 291 कंपाल पणजी गोवा-403 001	श्री आर.एस प्रभु, वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) टेलि. 0832-2230035
17	गुजरात	अहमदाबाद 1701	बैंक ऑफ़ इंडिया, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय, बैंक ऑफ़ इंडिया, बिल्डिंग, भद्रा,अहमदाबाद-380001	श्री डी.ढी.पांडेर, का.079-25351461 मो. 09712598021
		वड़ोदरा 1702	बैंक ऑफ़ इंडिया, वड़ोदरा आंचलिक कार्यालय, 1 ला माला, बैंक ऑफ़ इंडिया, बिल्डिंग, एलौरा पार्क, सुभानपुरा, वड़ोदरा गुजरात-390 007	श्री प्रशांत देसाई, अधिकारी, एचआर 0265-2396114 मो. 09427866060
18	हरियाणा	चंड़ीगढ़ 1801	बैंक ऑफ़ इंडिया, चंड़ीगढ़ आंचलिक कार्यालय, एससीओ नं. 181-182, सेक्टर -17 सी चंड़ीगढ़160017	श्री डी.सोनी वरिष्ठ प्रबंधक. 0172-2726188 मो : 09815175511
19	हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ 1901	बैंक ऑफ़ इंडिया, चंडीगढ आंचलिक कार्यालय एससीओ नं. 181-182 सेक्टर -17 सी चंड़ीगढ़160017	श्री डी सोनी वरिष्ठ प्रबंधक 0172-2726188 मो. 09815175511

20	झारखंड	रांची 2001	बैंक ऑफ़ इंडिया, रांची आंचलिक कार्यालय, प्रधान टॉवर, (ओवर ब्रिज के पास) मेन रोड, रांची-834 001 (झारखंड)	अमिताभ बॅनर्जी वरिष्ठ प्रबंधक, एचआर फो.0651-2331150 मो-9430332675
		जमशेदपुर 2002	बैंक ऑफ़ इंडिया, जमशेदपुर आंचलिक कार्यालय, बैंक ऑफ़ इंडिया, बिल्डिंग, बस्तुपुर, जमशेदपुर, झारखंड-831 001	श्री अपुरबा रंजन सरकार वरिष्ठ प्रबंधक, एचआर फो. 0657-2442207 0657-2442210 मो. 09431524338
		गिरिडीह 2003	बैंक ऑफ़ इंडिया, गिरिडीह आंचलिक कार्यालय, कूच्चेरी रोड, गिरिडीह, झारखंड-815 301	एन. के. हलदर वरिष्ठ प्रबंधक (मा.सं.) 06532-222758 मो. 9955150891
21	जम्मू एवं कश्मीर	चंडीगढ 2101	बैंक ऑफ़ इंडिया, चंडीगढ आंचलिक कार्यालय एससीओ नं. 181-182 सेक्टर -17 सी चंडीगढ-160017	श्री डी सोनी वरिष्ठ प्रबंधक 0172-2726188 मो.09815175511
22	कर्नाटक	बेंगलोर 2201	बैंक ऑफ़ इंडिया, कर्नाटक आंचलिक कार्यालय, सागर थिएटर के सामने, बैंक ऑफ़ इंडिया बिल्डिंग, नं 11, के.जी. रोड, बेंगलोर 560 009	श्रीमती आर. निर्मला वरिष्ठ प्रबंधक एचआर और आईआर, का. 22959410 मो. 9986228623
23	केरल	कोचीन 2301	बैंक ऑफ़ इंडिया, केरल आंचलिक कार्यालय, कलूर टॉवर्स, कलूर-कडवंथरा रोड, कोची - 682017	श्री के..एम.सुरेन्द्रनाथन वरिष्ठ प्रबंधक, टेलि फोन 0484-23008480 मो. 094446392940
24	मध्य प्रदेश	भोपाल 2401	बैंक ऑफ़ इंडिया, भोपाल आंचलिक कार्यालय, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462 011	श्री दिलीपकुमार विश्वास मुख्य प्रबंधक नि. 0755-2554404/2555189 मो. +919424400198
		इंदौर 2402	बैंक ऑफ़ इंडिया, इंदौर आंचलिक कार्यालय, 345-A, पीयु-4 स्कीम नं.54 होटल कंट्री इन के पीछे , ए.बी.रोड़ इंदौर-452 010	श्री अशोक कुमार मेहरोत्रा उप आंचलिक प्रबंधक का. 0731-2445122 नि. -0731-4063692 मो. 9424811171
25	महाराष्ट्र	मुंबई 2501	बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई दक्षिण अंचल, 70-80, महात्मा गांधी रोड, पो.बॉ.नंबर 38, मुबई-400 023	श्री एल. एस. कामत फो. नं. -22674857/22703543 मो. 9969178018
		पुणे 2502	बैंक ऑफ़ इंडिया, पुणे आंचलिक कार्यालय, 1162/6 शिवाजी नगर, वेधशाला के पास, गणेशखिंड रोड, पुणे -411 005	श्री एच.ए. पंडितराव वरिष्ठ प्रबंधक एचआर 020-25535766
		नागपुर 2503	बैंक ऑफ़ इंडिया, नागपुर आंचलिक कार्यालय, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, एस.वी. पटेल रोड (किंग्ज वे), नागपुर, महाराष्ट्र-440 001	श्री एम. एन. शिंदे फो.0712- 5693014 मो. 9922508915
26	उड़ीसा	भुवनेश्वर 2601	बैंक ऑफ़ इंडिया, भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय, 'स्टार हाउस' 1/1डी जयदेव विहार, नया पल्ली भुवनेश्वर-751 015	श्री. नीरज कुमार चतुर्वेदी प्रबंधक, (एचआर.आई आर) का. 0674-2559257 मो. 09938325942
27	पांडिचेरी (यू.टी.)	चैन्नै 2701	बैंक ऑफ़ इंडिया, चैन्नै आंचलिक प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, 2रा माला,17, इरा बालू स्ट्रीट, चैन्नै -600 001	श्री टी.रवीन्द्रन मुख्य प्रबंधक (एचआर) 044-66777502 मो. 9445264663
28	पंजाब	लुधियाना 2801	बैंक ऑफ़ इंडिया, लुधियाना आंचलिक कार्यालय, 1 ला माला,579-माडेल टाऊन, लुधियाना, पंजाब	श्री एस. के.गर्ग, वरिष्ठ प्रबंधक, एचआर 0161-2408163 मो . 9876962003

29	राजस्थान	जयपुर 2901		बैंक ऑफ़ इंडिया, राजस्थान अंचल कार्यालय, सी-63-बी, सरोजिनी कार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302 001	श्री एस. एल. आर्य प्रबंधक, 0141-2363071
30	तमिलनाडु	चैन्नै 3001		बैंक ऑफ़ इंडिया, चैन्नै अंचल कार्यालय, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, 2 रा माला,17, इरा बालू स्ट्रीट, चैन्नै -600 001	श्री टी. रविन्द्रन, मुख्य प्रबंधक (एचआर), 044-66777502 मो. 9445264663
		कोयम्बटूर 3002		बैंक ऑफ़ इंडिया, कोयम्बटूर अंचल कार्यालय, स्टार हाउस, 324, ओपनकारा स्ट्रीट, कोयम्बटूर -641001	श्री मोहनलाल वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) 422-2392813 मो. 9442028527
31	पश्चिम बंगाल	3101	कोलकाता	बैंक ऑफ़ इंडिया, कोलकाता आंचलिक कार्यालय, 5,बीटीएम सारणी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700 001	श्री बी.डी.पेटरो वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) का-033-22301891 मो- 9883047157
32	असम	3201			
33	त्रिपुरा	3301			
34	मेघालय	3401			
35	सिक्किम	3501			
36	उत्तरप्रदेश	लखनऊ 3601		बैंक ऑफ़ इंडिया, लखनऊ आंचलिक कार्यालय 'स्टार हाउस',विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तरप्रदेश-226 010	डॉ. एम.एस सिसोदिया 0522-2721503/1492 मो. 9935092950
		आगरा 3602		बैंक ऑफ़ इंडिया, आगरा आंचलिक कार्यालय एल.आई.सी.बिल्डिंग, संजय पैलेस, एम.जी.रोड़, आगरा, उत्तरप्रदेश-282 002	श्री. बी.जे.बंसल वरिष्ठ प्रबंधक (सीएसडी) फो.नं.0562-2521240 मो. 09456022553
		वाराणसी 3603		बैंक ऑफ़ इंडिया, वाराणसी आंचलिक कार्यालय, बी-20/44, ए-7,भेलपूरा,वाराणसी उत्तरप्रदेश-221 010	श्री.,एस.के.भट्ट वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) फो.नं. 0542-2276641
37	उत्तरांचल	गाजियाबाद 3701		बैंक ऑफ़ इंडिया, गाजियाबाद आंचलिक कार्यालय बी-32, संदिपनी, सेक्टर -62, नोएडा-201 307	श्री गिरीश कुमार वरिष्ठ प्रबंधक एचआर, 0120-2404137

बैंक को लिखित परीक्षा तिथियों को आगे/पीछे करने का और/अथवा परीक्षा केंद्रों और स्थानों को जोड़ने अथवा घटाने का अथवा संशोधित/परिवर्तित करने का और/अथवा लिखित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार होगा।

10. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (पीईटी) :

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक का अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए छः कार्य दिनों का निःशुल्क गैर आवासीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (पीईटी) नवी मुंबई, पुणे, भोपाल, नोएडा (नई दिल्ली), कोलकाता एवं चेन्नै केंद्रों पर प्रदान करने का विचार है। अभ्यर्थियों में से पीईटी के लिए चयन ऑनलाइन पंजीयन की तारीख की प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उपर्युक्त प्रवर्ग के अभ्यर्थी, जो ऐसा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने आवेदन पत्र में पसंदीदा पीईटी केंद्र का उल्लेख करें।

संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (पीईटी) के लिए उपस्थित रहने के लिए होने वाले यात्रा, ठहरने, खान-पान इत्यादि के सभी खर्चे उम्मीदवार को ही वहन करने होंगे। उपर्युक्त सूचित किए गए पीईटी के लिए केंद्रों को बढ़ाने या घटाने का विवेकाधिकार बैंक का होगा।

11. <u>अवचार के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई :</u>

अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में यह सूचित किया जाता है कि वह आवेदन पत्र भरते समय तथा प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियों का सत्यापन करते समय वे ऐसे कोई भी विवरण/ब्योरे/सूचना न दें जो मिथ्या हों, जिनमें हेर-फेर किया गया हो, जाली हों या वे किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाते हों। यदि किसी भी समय यह पता लगता है कि अभ्यर्थी उपर्युक्त में किसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो वह केवल अपात्र ही नहीं ठहराया जाएगा बल्कि चयनित हो जाने पर और बैंक की सेवा में कार्यग्रहण करने के बाद भी वह बैंक की सेवा से किसी भी समय बर्खास्त किया जाएगा / जाएगी।

लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है अथवा छद्मव्यक्तिता या अन्य व्यक्ति द्वारा छद्म रूप धारण करवाता है अथवा परीक्षा कक्ष में और/अथवा व्यक्तिगत साक्षात्कार कक्ष में दुर्व्यवहार करता है अथवा चयन द्वारा अपनी उम्मीदवारी के संबंध में अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेता है, इसमें अपनी उम्मीदवारी के लिए अनुयाचना का सहारा लेना अथवा किन्ही भी साधनों द्वारा अपनी उम्मीदवारी के संबंध में सहायता लेना भी शामिल हैं,तो वह आपराधिक अभियोजन का पात्र होगा इसके अलावा

- उस परीक्षा हेतु उसे अयोग्य ठहराया जाएगा जिसके लिए वह अभ्यर्थी है।
- उसे बैंक द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा या भर्ती के लिए स्थायी रूप से या एक निश्चित अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

<u>टिप्पणी :</u>
जवाबों में समानता का पता लगाने के लिए बैंक अन्य अभ्यर्थियों के साथ किसी अभ्यर्थी के जवाबों का विश्लेषण करेगा। ऐसे विश्लेषण के आधार पर यह संदेह होता है कि जवाबों को आपस में बाँट लिया गया है और प्राप्त किए गए अंक वास्तविक/वैध नहीं है तो बैंक को उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार होगा।

12. <u>अप्रतिदाय आवेदन शुल्क एवं डाक प्रभार</u>

आवदेकों को आवेदित पद हेतु, नीचे दर्शाए गए आवेदन शुल्क प्रेषित करना है :-

आवेदक का प्रवर्ग	शुल्क राशि
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/भूतर्पूव सैनिक	शून्य
सामान्य/ओबीसी	रू. 250.00

कम्प्यूटर निर्मित चालान द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया की किसी शाखा में डाक प्रभार का भुगतान किया जाना चाहिए तथा शुल्क राशि जमा करने के बाद आपको यूनिक ट्रांजेक्शन विवरण सं. प्राप्त होगी। किसी अन्य रूप में किया गया भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एक बार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा एक बार भुगतान किए गए डाक प्रभार को वापस नहीं किया जा सकेगा और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

13. <u>सामान्य अनुदेश :</u>

क) पद के लिए आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने पात्रता मानदंड तथा उपर्युक्त निर्दिष्ट अन्य मानदंडों को पूर्ण कर लिया है। अभ्यर्थी की पात्रता से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय, वह चरण जहाँ पर पात्रता की संवीक्षा की जाएगी, परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, साक्षात्कार, चयन, भर्ती से संबंधित अन्य मामले, अंतिम चयन अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक पत्राचार अथवा व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं करेगा। भर्ती के किसी भी चरण में यदि यह पाया गया कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है और/या उसने असत्य सूचना प्रदान की है या महत्वपूर्ण तथ्य (यों) को छुपाया है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी। इनमें से कोई कमी/कमियां यदि नियुक्ति के बाद पाई गईं तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

ख) आवेदन का केवल ऑन लाइन पंजीकरण स्वीकार किया जाएगा।

ग) अपंगता (शारीरिक विकलांगता) प्रवर्ग के अंतर्गत आरक्षण/उम्र में छूट का लाभ प्राप्त करने का दावा करनेवाला व्यक्ति यदि साक्षात्कार हेतु चयनित हो जाता है तो उसे अपनी अंपगता के पक्ष में "विकलांग व्यक्ति" (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995" एक अधिकृत प्रमाणकर्ता अधिकारी (परिच्छेद 14 (ii)) में दर्शाए गए अनुसार) द्वारा जारी प्रमाणपत्र को जमा करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी के विकलांगता की प्रकृति तथा मात्रा (प्रतिशत) को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।

घ) एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु चयनित हो जाने पर अभ्यर्थी को भारत सरकार (केन्द्रीय), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्यालय ज्ञापन क्र. 36012/6/88-ईएसटीटी.(एससीटी, (एसआरडी) III), दिनांक 24.04.1990 एवं क्र. 36036/8/98-ईएसटीटी (आरईएस) दिनांक 16.03.1999 द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने जाति प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रदान करनी होगी। एससी/एसटी एवं ओबीसी के जाति प्रमाणपत्र का प्रारुप इस सूचना के अंत में उपलब्ध है।

ड.) भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में, कार्मिक विभाग एवं प्रशिक्षण कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/28/94-स्था (रजि.) दिनांक 02.07.1997 की पात्रता " भारत सरकार के अंतर्गत नियुक्ति हेतु आवेदित पदों के लिए पिछड़ी जाति के लिए जारी प्रमाणपत्र " अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) प्रमाण पत्र, प्रस्तुत किया जाना चाहिए और क्रीमी /नान क्रीमी लेयर को निरपवाद रूप सें शामिल करना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2008-09 की आय के आधार को स्पष्ट अर्थात 31.3.2009 तक (प्रारूप बैंक की बेवसाइट पर इस विज्ञापन के साथ उपलब्ध है नॉन क्रीमी लेयर होने की स्थिति में जारी ओबीसी प्रमाणपत्र को शामिल करना, और वित्तीय वर्ष 2008-09 से पूर्व (अर्थात 31.3.2009) के आधार पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी, जो अब " क्रीमी लेयर " हैं , ओबीसी आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं हैं। उन्हें आवेदन में अपनी श्रेणी सामान्य दर्शानी है ।

च) अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के दौरान जैसे लिखित परीक्षा के समय, व्यक्तिगत साक्षात्कार चिकित्सा जाँच के दौरान भावी उपयोग के लिए आवेदन फार्म पर एक ही तरह के अपने फोटो को चिपकाकर समुचित (न्यूनतम 7) प्रतियां अपने पास रखें। भर्ती के विभिन्न चरणों में इस फोटो को प्रस्तुत न कर पाने पर अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में अयोग्य माना जाएगा।

छ) लिखित परीक्षा/व्यक्तिगत साक्षात्कार/चिकित्सकीय जांच आदि में आबंटित केन्द्रों पर अभ्यर्थी अपने खुद के खर्च तथा जोखिम पर सम्मिलित होगा तथा किसी भी प्रकृति की चोट/हानि आदि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। यद्यपि, बाहरी स्थान के अभ्यर्थियों तथा विकलांग व्यक्तियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए इस विषयक आवेदन सहित न्यूनतम मार्ग से यात्रा करने के संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आने-जाने के रेल के द्वितीय श्रेणी/सामान्य बस के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ज) जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा केन्द्र/स्थान/विशिष्ट अभ्यर्थी (यों) की पुन:परीक्षा, बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार आयोजित कर सकता है।

झ) किसी भी अभ्यर्थी को केलकुलेटर, किसी प्रकार के फोन, पेजर्स अथवा इस प्रकार के अन्य उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं है।

ण) केवल वही अभ्यर्थी जो योग्यता मानदंड को पूरा करते हों तथा जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जो व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए सूचित किए गए हैं उन्हें उनके आवेदन फार्म में दिए गए डाक पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची बैंक की वेबसाइट http.www.bankofindia.co.in पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि समय-समय पर वह बैंक की वेबसाइट पर सूचनाओं को देखते रहें। नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी इसी तरह प्रदर्शित की जाएगी ।

त) चुने गए /चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके रुग्ण न होने/बैंक की आवश्यकता के अनुरूप चिकित्सकीय रूप में फिट घोषित होने के अध्यधीन है। यह नियुक्ति सम्माननीय मध्यस्थ से संतोषप्रद उल्लेख प्राप्त होने, पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन, जाति/वर्ग सत्यापन (सभी अथवा कोई जो अभ्यर्थी के बैंक में कार्यग्रहण करने के बाद भी संपन्न किया जा सकता है) तथा बैंक के नियमों तथा अधिनियमों के अनुपालन के अध्यधीन है।

थ) वर्तमान में रोजगार से जुड़े हुए चयनित अभ्यर्थी को सेवा ग्रहण से पूर्व अपने वर्तमान नियोजक से योग्य सेवामुक्त प्रमाणपत्र/रिलीविंग पत्र की प्रस्तुति आवश्यक होगी।

द) भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय इस विज्ञापन में दर्शाए गए किसी निबंधन और शर्तों और/या योग्यता मानदंड में रद्दोबदल, रूपांतरण या परिवर्तन करने का अधिकार बैंक के पास आरक्षित है।

ध) यद्यपि पूरी सावधानी बरती जाएगी तथापि किसी सम्प्रेषण के पहुँचने में विलम्ब या डाक में गायब हो जाने का दायित्व बैंक का नहीं होगा।

न. अंग्रेजी के अतिरिक्त अनुवाद में उभरे किसी विवाद के मामले में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

प. इस विज्ञापन के परिणामस्वरूप उभरा कोई विवाद पूर्णतया मुंबई स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

14. एससी/एसटी/ और विकलांग व्यक्तियों के प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी :

i. एससी/एसटी/ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए :

क. जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/जिलाधीश/उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/उप जिलाधीश/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप संभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त;

ख. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट;

ग. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो;

घ. जहाँ पर सामान्यतया अभ्यर्थी और/या उनके परिवार रहते हैं वहां के उप-खंड अधिकारी।

ii. अपंग/शारीरिक विकलांग अभ्यर्थी के लिए:

अधिकृत प्रमाणित करनेवाले प्राधिकारी जिला स्तर के चिकित्सा बोर्ड में होगा। इस मेडिकल बोर्ड में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिले के उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा एक आर्थोपेडिक सर्जन होंगे।

15. आवेदन कैसे करें:

i. अभ्यर्थी का वैध ई-मेल आईडी होना चाहिए।

ii. अभ्यर्थी को केवल वेबसाइट www.bankofindia.co.in द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।

iii. प्रथम चरण में, अभ्यर्थी को चालान का प्रिंट आउट लेना चाहिए। चालान के प्रिंट हेतु यहाँ क्लिक करें।

iv. उपर्युक्त चालान के बाद अभ्यर्थी को बैंक ऑफ़ इंडिया की किसी भी शाखा में 27.06.2009 से पहले शुल्क का भुगतान करना चाहिए

v. एक बार शुल्क का भुगतान करने पर संबंधित शाखा द्वारा उसे एक यूनिक ट्रांजेक्शन कोड नं. दिया जाएगा (यदि गैर सीबीएस है तो ऐसा ट्रांजेक्शन नम्बर नहीं दिया जाएगा)।

vi. अभ्यर्थी हमारी वेबसाइट www.bankofindia.co.in को "रिक्रूटमेंट एंड कैरियर" शीर्षक में देखें और उपलब्ध आवेदन को भरकर सूचना के अंत में क्लिक करें।

vii. यूनिक ट्रांजेक्शन विवरण सं. आवेदन में उपयुक्त स्थान पर सही भरे जाने चाहिए (यह एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा)

viii. आवेदन को सेव किया जाना चाहिए एवं जाँच के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ix. आवेदन मुद्रित और उस पर फोटो चिपका हुआ होना चाहिए, जो साक्षात्कार के समय साक्षात्कार स्थान पर हमें प्रस्तुत करने के लिए रखा जाना चाहिए।

x. आपको याद रहे, आपका पासवर्ड भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए उपयोगी होगा।

xi. कृपया नोट करें कि आवेदन हेतु उक्त प्रक्रिया ही केवल वैध प्रक्रिया है। आवेदन की कोई अन्य प्रणाली या अपूर्ण मदें स्वीकार नहीं की जाएगी तथा इस प्रकार के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

xii. एक ही अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की स्थिति में, अंतिम रूप से सही आवेदन को ही प्रमाणिक/सुनिश्चित माना जाएगा। (अन्य आवेदनों को अशक्त और शून्य माना जाएगा।)

अभ्यर्थी केवल वेबसाइट http.www.bankofindia.co.in के द्वारा ऑन लाइन आवेदन करें। आवेदन फाइल करने पर विशिष्ट पंजीकरण नंबर सहित डाक प्रभार के भुगतान हेतु चालान निर्मित करने का प्रावधान किया गया है। अभ्यर्थी इस प्रकार के केवल कम्प्यूटर जनित चालान द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया की किसी शाखा में डाक प्रभार का भुगतान करें तथा प्रतिपर्ण पर पावती प्राप्त करें साथ ही ट्रांजेक्शन आईडी प्राप्त करें। एक बार भुगतान हो जाने पर, अभ्यर्थी शाखा का नाम, भुगतान तिथि तथा ट्रांजेक्शन आईडी और चालान नंबर को आवेदन में लिखें तथा आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त करें। इस प्रिंट आउट आवेदन पर आवेदक अपना फोटो चिपकाकर हस्ताक्षर करे। चालान के साथ यह आवेदन तथा निम्नलिखित दस्तावेजों की अपेक्षित जेरॉक्स प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने हेतु तैयार रखें। संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

1. प्राप्त चालान की प्रति;
2. स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की साक्ष्यांकित प्रति अथवा बैंक को मान्य उम्र दर्शाने वाले प्रमाण का अन्य दस्तावेज;
3. शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में मार्कशीट/प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित प्रतियां;
4. कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का साक्ष्यांकित प्रमाणपत्र;
5. लागू होने वाले जाति/विकलांगता/अन्य संबंधित प्रमाणपत्र.

सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र (बैंक और वित्तीय संस्थाओं सहित) में कार्यरत अभ्यर्थी यदि साक्षात्कार हेतु चयनित किए जाते हैं तो उन्हें अपने नियोजक से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जमा करना होगा, ऐसा न कर सकने पर साक्षात्कार हेतु उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे योग्यता मानदंड को पूरा करते हैं तथा सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं तथा इस विज्ञापन के साथ साथ आवेदन फार्म में निर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करते हैं। अतएव, अभ्यर्थी से अनुरोध है कि इस विज्ञापन को वह सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा इस संबंध में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप आवेदन फार्म को पूर्णतया भर कर प्रस्तुत करें।

यह अंतिम रूप से न माना जाए , कृपया आवश्यक रूप से नोट करें कि जो अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं लेकिन वे दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए जाते हैं तो उन्हें साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस असुविधा हेतु खर्च व परिणामों की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी।

प्रिंट चालान
ऑनलाइल आवेदन

(पी.ए.कल्याणसुंदर)
महाप्रबंधक (एच आर)

मुंबई,
दिनांक : 19.05.2009.

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी से अनुरोध है कि अद्यतन जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट का अवलोकन करें

<u>अजा/जजा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप</u>

एम.एच.ए. ओ एम सं. 42/21/49-एन.जी.एस. दिनांक 28.01.1952 में यथा निर्धारित कार्मिक एवं ए.आर. विभाग पत्र सं. 36012/6/76- स्था (एस.सी.टी.) दिनांक 29.10.1977
में यथा संशोधित अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

<u>जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री -- के पुत्र/पुत्री* श्री/श्रीमती/कुमारी* --ग्राम/नगर -- जिला/खंड* ---राज्य/संघ शासित राज्य ---------------------------- ---------------------की जाति/जनजाति ------------------------ के/की हैं, जिसे एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में निम्न के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है:

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950. *संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ शासित राज्य) आदेश, 1951
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित राज्य) आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (आशोधन आदेश)1956, बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम,1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित]
*संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;
*संविधान (अंड़मान एवं निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (सेशोधन) अधिनियम, 1976; द्वारा यथा संशोधित

*संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962;
*संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;
*संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964;
*संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;
*संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968;
*संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968;
*संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970;
*संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;
*संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;
*संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;
*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991;

*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय (संशोधन) अधिनियम, 1991;

2. यह प्रमाण पत्र ------------ राज्य/संघ शासित राज्य के ----------- जिले/खंड* के--------- ग्राम/नगर के श्रीमती/कुमारी* ---------------------------के पिता/माता* श्री/श्रीमती*

कार्यालय की मोहर

को जारी किए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है। जिस जाति/जनजाति से वे संबंधित हैं उसे -----------------------राज्य/संघ शासित राज्य के ------------- दिनांकित ------------ के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्य किया गया है।

हस्ताक्षर
पदनाम

स्थान

राज्य/संघ शासित राज्य :
दिनांक :

ओबीसी/अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ओबीसी प्रमाण पत्र का प्रारूप

अन्य पिछड़े वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म

भारत सरकार के अंतर्गत पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन

(ओ.एम.सं. 36033/28/94-स्था.(रेज.) दिनांक 02/07/1997 में यथा कार्मिक एवं प्रशि वि. भारत सरकार)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी______________________पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती/कुमारी

श्री/श्रीमती/कुमारी_________________पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती/कुमारी *____________________________

ग्राम/नगर ____________________________________ जिला/खंड* ________राज्य/संघशासित

राज्य _____________________ की जाति _________________ के/की हैं, जिसे एक पिछड़े वर्ग के रूप

के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है :

*(i) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं. 1201/1/68/93 - बीसीसी , दिनांक 10 सितम्बर, 1993 कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, असाधारण भाग-1, खण्ड 1 सं.186 दिनांक 13 सितम्बर,1993.

भारत के राजपत्र में प्रकाशित, संकल्प सं. 12011/9/94-बीसीसी , दिनांक 19 अक्टूबर,1994, कल्याण मंत्रालय. भारत सरकार, असाधारण, भाग-1, खण्ड 1, सं. 163 दिनांक 20 अक्टूबर,1994.

भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/7/95-बीसीसी , दिनांक 24 मई, 1995, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, असाधारण, भाग-1 खण्ड 1, सं. दिनांक 25 मई, 1995ण

*(iv) भारत के राजपत्र में प्रकाशित, संकल्प सं. 1201/1/44/96-बीसीसी, दिनांक 6 दिसम्बर,1996, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार. असाधारण, भाग-1, खण्ड 1 सं. 210 दिनांक 11 दिसम्बर,1996.

श्री/श्रीमती/कुमारी * ____________________________________ एवं/या * उसका परिवार सामान्य रूप से ____राज्य/संघ शासित राज्य के ___________ __________________ग्राम/नगर में निवास करते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी___________________ का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी), दिनांक 08/09/1993, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की अनुसूची कॉलम 3 में शामिल (क्रीमी लेयर) व्यक्तियों/वर्गों से संबंधित नहीं हैं।

कार्यालय की मोहर

स्थान -

दिनांक -

* जो लागू न हो तो उसे काट दें

हस्ताक्षर -
पदनाम-

टिप्पणी : सामान्य रूप से निवास करने हेतु प्रयुक्त शब्द का यहाँ वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

*कृपया जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।

जाति प्रमाण पत्र जारी करेने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं-

जिला मजिस्ट्रेट/ एडिशनल मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/उप संभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अन्य सहायक कमिश्नर/(मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रैंक से कम न हो).

चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/

राजस्व अधिकारी तहसीलदार की रैंक से कम न हो, और जहाँ अभ्यर्थी और उसका परिवार निवासी है वहाँ का उप संभागीय अधिकारी।

\\Mahesh\d\Talreja\amrish kumar 25.5.09\hrd clerical recuritement project 2009 25.5.09amrish kumar.doc